**न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश**
**अ0जा0/अ0ज0जा0 (अ0नि) प्रकरण , टोंक (राज0)**

**पीठासीन अधिकारी : हिमांकनी गौड, आर जे एस**
**(जिला न्यायाधीश सवंर्ग)**

**सैशन प्रकरण संख्या 02/2016**

सरकार बनाम छोटू लाल पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा
निवासी हनोतिया थाना उनियारा
––अभियुक्त

**अपराध अन्तर्गत धारा 341,323,302 भा0दॅ0सं0**

**उपस्थितः–**
श्री श्याम सुन्दर शर्मा विशिष्ट लोक अभियोजक।
श्री अशोक कासलीवाल अधिवक्ता–अभियुक्त की ओर से ।

**।। नि र्ण य ।।**

**दिनॉक :– 23.09.2016**

**1.** संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 1.09.15 को बिहारी लाल ने थाना उनियारा में प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करवाई कि कल दिनांक 31.8.15 को कोटा मशीन लेने मेरे गांव से गया था कल 6 बजे शाम को मेरे पुत्र विजय सिंह ने मेरे टेलीफोन पर बताया कि दादाजी रामचन्द्र जी के सिर मे ंकाका छोटू लाल ने लकडियों से पीट पीट कर सर फोड दिया है जिससे दादाजी की मृत्यु मौके पर ही हो गई है। यह घटना मैंने व गोपाल ने मेरे बेटे से पूछा कि किसी ने छुडाया नहीं का तब उसके बेटे ने बताया कि मैं व मेरी मां मेरी बहिन व काकी लछमा ने छुडाने का प्रयास किया तो हमारे को भी मारने पीटने दौडा। इसके बाद हम भी छुप गये और छोटू काका अपने घर स्वयं की मोटर साईकिल लेकर भग गया। मैंने स्वयं ने थाने पर फोन मिलाया तो नहीं मिला इस पर पिताजी को कहा कि आप थाने पर फोन करो। इस पर मैंने थानदारजी व राम लाल जी बीट कांस्टेबिल को फोन किया तो पुलिस मौके पर आई व मेरे पिताजी को उनियारा अस्पताल लाई मैं कोटा से आकर रिपोर्ट पेश करता हूं कि मेरे पिताजी रामचन्द्र की लकडियों से पीट पीट कर छोटू लाल ने हत्या कर दी । रिपोर्ट दर्ज करने की कृपा करे। उक्त रिपोर्ट आधार पर थाना उनियारा पर मु0न. 184/2015 दर्ज कर अनुसंधान किया गया। सभी सामान्य अनुसंधान पूर्ण किये

जाने के पश्चात उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उनियारा में आरोप पत्र पेश किया गया, जो उपरोक्तानुसार बाद कमिटल व अन्तरण इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

2. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त को धारा 341,323,302 भा0दॅ0सं0 का आरोप विरचित कर सुनाये– समझाये गये, आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य में गवाह पी.ड.1 बिहारी लाल , पी0ड0 2 कमलेश, पी0ड03 विजय सिंह, पी0ड0 4 जनता, पी0ड0 5 कैलाश,पी0ड0 6 बजराज, पी0ड07 प्रेम सिंह,पी0ड0 8 बनवारी लाल ,पी0ड0 9 बंशी लाल, पी0ड0 10 दुर्गा लाल , पी0ड0 11 डा0 रविन्द्र खींची,पी0ड0 12 लछमा, के कथन लेखबद्ध करवाये । दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी01 लगायत प्रदर्श पी0 19 दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया है।

4. साक्ष्य अभियोजन समाप्त होने पर बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दॅण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लिये गये,प्रतिरक्षा मे मुलजिम की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की है ।

5. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अभियुक्त छोटू द्वारा मृतक रामचन्द्र के साथ कोई मारपीट कर उसकी हत्या कारित नहीं की है । अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह द्वारा घटना की ताईद नहीं की गई है। परिवादी एवं प्रत्यक्षदर्शी सभी गवाहन पक्षद्रोही घोषित हुये है उनके द्वारा अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की गई है। अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतया असफल रहा है । अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया है। इसके विरोध मे विशिष्ट लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित है । अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने की प्रार्थना की है।

6. दोनो पक्षों की बहस सुनी,पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में निम्न बिन्दु विचारणीय है–

क्या अभियुक्त ने दिनांक 31.08.15 ग्राम हनुतिया में मृतक रामचन्द्र पर हमला कर लाठियों से उसके शरीर पर मार डालने के आशय से चोटें कारित कर उसे मार डाल कर हत्या कारित की एवं कुन्द आलाय से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की व उसे जिस दिशा में जाने का अधिकार था उस दिशा में जाने से रोक कर सदोष अवरोध कारित किया ?

7. पत्रावली पर आई साक्ष्य का समग्र रूप से अवलोकन किया जावे तो इस संबंध मे पी0ड01 बिहारी लाल जो कि परिवादी है ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि 6–7 महिने पहले मैं कोटा था मेरे बच्चे ने फोन किया कि दादाजी गिर गये उनकी मृत्यु हो गई मैं टोंक आया रिपोर्ट दर्ज करायी। मेरे पिताजी का नाम रामचन्द्र है। गवाह के अनुसार उसे बच्चे ने बताया कि दादाजी पत्थरों पर गिर गये जिससे उनके चोटें आई। गवाह ने इस बात का ध्यान नही होना बताया है कि उनके साथ कोई मारपीट की गई हो। इस पर गवाह को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में गवाह ने प्रदर्श पी01 तहरीरी रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवाने थाने पर जाना तथा प्रदर्श पी0 1 में ए से बी भाग सही होना तथा सी से डी भाग गलत होना बताया हैं । गवाह के अनुसार प्रदर्श पी0 1 उसने नही लिखवाई बल्कि दूसरों से लिखवाई है। गवाह ने प्रदर्श पी01 पर आई से जे स्थान पर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है तथा चाक एफआईआर प्रदर्श पी02 नक्शा मौका प्रदर्श पी03 , फर्द जब्ती खून आलूदा मिट्टी प्रदर्श पी0 4 पर ए से बी स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। गवाह ने आर्टिकल 1 के सम्बन्ध मे इस बात की जानकारी से इन्कार किया है । आर्टिकल 1 घटना के प्रयोग में लाई गई लाठी है या नहीं गवाह ने लकडी स्वयं के सामने बरामद होने से इन्कार किया है घटना स्थल से उठायी मिट्टी आर्टिकल 2 व 3 तथा मृतक रामचन्द्र की धोती आर्टिकल 4 होना गवाह ने सही बताया है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह ने बताया कि उसके मकान के पास एक मकान में काम चल रहा है वहां पत्थर व बिल्डिंग मेटेरियल का सामान पडा हुआ है। उसके बच्चे विजय सिंह ने फोन किया था कि दादाजी के लग गई और वे मर गये पुलिस वालों ने तो कागजों पर साईन करवाये किस बात के साईन करवाये उसे पता नही । गवाह के अनुसार उसने रिपोर्ट नहीं लिखी बल्कि किसी अन्य व्यक्ति से लिखवाई थी तथा उसने जैसी ही लिखी उसके बाद उसने साईन किये । इस प्रकार उक्त परिवादी स्वयं के द्वारा दर्ज करवाई गई तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी0 1 की पुष्टि नहीं

करता है।

8. पी0ड02 कमलेश जो कि परिवादी की पत्नि है भी पक्षद्रोही घोषित हुई है उसने अपने ससुर रामचन्द्र का छत पर चढने पर नीचें पत्थरों पर गिरने से मृत्यु होना बताया है। उसके अनुसार देवर छोटू लाल ससुर और उनसे झगडा करता था । दारू पीकर मारपीट करता था जिसका बहम था इसलिये छोटू के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाया है।गवाह ने जिरह में इस बात को गलत बताया है कि उसके देवर ने उसके ससुर को लकडियों से मारा हो बल्कि वे छत से गिरे थे , उनके चोटें आई थी। इस प्रकार इस गवाह ने भी तहरीरी रिपोर्ट की ताईद नहीं की है

9. गवाह पी0ड0 3 विजय सिह भी पक्षद्रोही घोषित हुआ है जो कि परिवादी बिहारी लाल का बेटा है जिसके द्वारा बिहारी लाल को सूचना देना बताया गया है। उक्त गवाह ने बताया कि पास में मकान का काम चल रहा था इस पर उसके दादाजी रामचन्द्र छत से नीचे गिर गये । पत्थरों से उनके चोटें आई। वहां पर छोटू लाल बैठा था उन्होंने सोचा कि उसने मारा है। गवाह ने जिरह में पुलिस बयान प्रदर्श पी0 6 का ए से बी भाग पुलिस को नहीं देना बताया है तथा इस बात को गलत बताया है कि उसके काकाजी छोटू ने दादाजी के साथ लकडी से मारपीट की हो जिससे मृत्यु हो गई। मुलजिम के अधिवक्ता द्वारा की गई जिरह में गवाह ने दादाजी के सिर पर केवल एक चोट होने तथा बाकी शरीर पर हल्की फुल्की चोट होना बताया है।

10. पी0ड0 4 जनता जो कि परिवादी की पुत्री है ने भी अपने दादाजी रामचन्द्र की मौत छत से पत्थरों पर गिर जाने के कारण होना बताया है । उक्त गवाह भी पक्षद्रोही घोषित की गई है। विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में गवाह ने 2–3 दिन पहले से ही छोटू द्वारा दादाजी से लकडी मारने की बात कही थी कि तुम को जान से मांरूगा । गवाह के आनुसार उसकी मां व काकी घर पर आई तो दादाजी के सिर से खून निकल रहा था और वह बेहोश हो गये थे। गवाह ने इस बात को गलत बताया कि छोटू ने उसके दादाजी के लकडी से मारा हो।

11. गवाह पी0ड0 5 कैलाश ने कोई घटना नहीं देखना तथा पुलिस द्वारा कोई

पूछताछ नहीं करना बताया हैं उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी0 8 का ए से बी भाग गलत होना तथा स्वयं के द्वारा ऐसा बयान पुलिस को नहीं देना बताया है उक्त गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया है कि वह मुलजिम छोटू से मिल कर झूंठे बयान दे रहा हो।

12. गवाह पी0ड0 12 लछमा जो कि मृतक रामचन्द्र के बेटे की बहु है भी पक्षद्रोही घोषित हुई है तथा स्वयं का घटना के वक्त वहां नही होना तथा गांव में होना बताया है तथा विशिष्ट लोक अभियेाजक द्वारा की गई जिरह में गवाह ने ससुर जी के छत से गिर जाना बताया है तथा पुलिस बयान प्रदर्श पी0 19 का ए से बी भाग गलत होना बताया है।

13. गवाह पी00ड0 6 बजराज नक्शा मोका प्रदर्श पी0 3 तथा फर्द जप्ती खून आलूदा मिट्टी प्रदर्श पी0 4 का गवाह है । उक्त गवाह जिरह में खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाना बताता है तथा स्वयं के सामने कोई नक्शा मोका नहीं बनाना ना ही मिट्टी जप्त करना बताता है।

14. गवाह पी0ड0 10 दुर्गा लाल फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी09 तथा फर्द जप्ती प्रदर्श पी0 4 पर हस्ताक्षर होना तो स्वीकार करता है किन्तु जिरह में पुलिस वालों द्वारा खाली कागजों पर थाने पर हस्ताक्षर करना बताता है तथा स्वयं के सामने कोई लकडी बरामद नहीं होना तथा प्रदर्श पी0 19 व 11 पर स्वयं से खाली कागजों पर हंस्ताक्षर करवाना कहता है।

15. गवाह पी0ड0 9 कमलेश फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी09 तथा फर्द जप्ती प्रदर्श पी0 11,फर्द नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी012 तथा नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी0 13 पर स्वंय के हस्ताक्षर स्वीकार करता है किन्तु जिरह में थाने पर हस्ताक्षर खाली कागजों पर करवाना बताता है तथा स्वयं के सामने कोई बरामदगी नहीं होना ना ही नक्शा मौका बनाना बताता है।।

16 गवाह पी0ड0 8 बनवारी लाल एफएसएल में सील्ड शुदा पैकिट जमा करवाना कहता है जो औपचारिक गवाह है।

17. पी.ड.7 प्रेम सिंह अनुसंधान अधिकारी है जो प्रकरण में सभी

औपचारिकतायें पूरी करना तथा मुलजिम छोटू के विरूद्ध बाद तफतीस धारा 341,323,302 भा0दं0सं0 में अपराध प्रमाणित पाये जाने पर न्यायालय में चार्जशीट पेश करनाा कहता है। किन्तु जिरह में गवाह ने दिनांक 31.8.15 को जब मौके पर गया तब वहां नक्शा मौका नहीं बनाना ना ही किसी गवाह के बयान लेना ना ही घटना बावत कोई रिपोर्ट प्राप्त करना कहता है। दिनांक 31.8.15 को केवल डेड बोडी अस्पताल में ले जाना और इसके अलावा कोई कार्यवाही नहीं करना कहता है। घटना के बाद मुलजिम छोटू द्वारा कीटनाशक खाना भी बताया है इस बावत कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं करना स्वीकार किया है ना ही इस सम्बन्ध में गवाह ने फर्द गिरफतारी व चार्जशीट में इस बावत कोई घटना का उल्लेख किया है। गवाह ने इस सुझाव को सही बताया है कि उसने जो बिहारी लाल के बच्चे के कहने के आधार पर दी इस सम्बन्ध में विजय सिंह से दिनांक 31.8.15 को कोई पूछताछ नोट तैयार किया गया है ना ही उसका पर्चा बयान लिया गया है ना ही विजय सिह द्वारा कोई रिपोर्ट पेश की गई है। इस प्रकार यह गवाह मात्र औपचारिक गवाह रहता है।

18. गवाह पी0ड0 11 डाक्टर रविन्द्र खींची ने मृतक रामचन्द्र की लाश का पोस्टमार्टम किया है जिस पर उसने मृतक के 2 चोटें पाई जो कि कम्पाउण्ड फ्रेक्चर दांई टेम्पोरल बोन पर व कम्पाउण्ड फ्रेक्चर दांयी व बांयी पेराईटल बोन पर था। गवाह ने इसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी0 18 पर पर स्वयं की राय व हस्ताक्षर प्रमाणित किये है। गवाह के अनुसार रामचन्द्र की मृत्यु सिर में आई चोट के आधार पर हुई थी जो भोंटें हथियार से कारित हुई थी। उक्त वाह से की गई जिरह में इस सुझाव को सही बताया है कि यदि कोई व्यक्ति प्रेसर से पट्टी पर गिर जाये तो पोस्टमार्टम में वर्णित चोट आना सम्भव है।

19. इस प्रकार उपरोक्त सभी गवाहन के बयानों में किसी भी गवाह ने प्रदर्श पी0 1 तहरीरी रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की है। यहां तक की स्वयं परिवादी बिहारी लाल पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने छोटू द्वारा मृतक राम चन्द्र के चोटें कारित करने से इन्कार किया है तथा मृतक रामचन्द्र के गिरने से चोटें आना बताया है । उसके परिवार के अन्य सदस्य पी0ड0 2 कमलेश,पी0ड0 3 विजय सिंह, पी0ड0 4 जनता पी0ड0 12 लछमा व अन्य प्रत्यक्षदर्शी गवाह कैलाश ने भी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी0 1 में अंकित तथ्यों की पुष्टि नहीं की है। यहां तक की फर्द जप्ती , नक्शा मोका व नक्शा मौका घटना स्थल तथा नक्शा मोका बरामदगी स्थल भी गवाहन के बयानों से प्रमाणित नहीं होते है। जिसमें गवाह ने मात्र खाली कागजों पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। चिकित्सक ने भी दो चोटें आना बताया है

जिसने सुझाव में कोई व्यक्ति प्रेशर से पट्टी पर गिरने से उक्त चोटें आने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया है। गवाह पी0ड0 7 प्रेम सिह अनुसंधान अधिकारी ने घटना के पश्चात जाकर गवाहों के बयान लेना तथा सभी सारी कार्यवाही करना बताया है जिससे कि उक्त गवाह इस प्रकरण मे मात्र औपचारिक गवाह रह जाता है क्योंकि अन्य प्रत्यक्षदर्शी गवाहन ने उसके अनुसंधान की पुष्टि नहीं की है इस प्रकार पत्राली पर आई साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्त छोटू के विरूद्ध यह संदेह से परे प्रमाणित करने मे पूर्णतया असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 31.08.15 को ग्राम हनुतिया में मृतक रामचन्द्र पर हमला कर लाठियों से उसके शरीर पर मार डालने के आशय से चोटें कारित कर उसे मार डाल कर हत्या कारित की एवं कुन्द आलाय से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की व उसे जिस दिशा में जाने का अधिकार था उस दिशा में जाने से रोक कर सदोष अवरोध कारित किया हो । अभियुक्त आरोपित अपराधों मे साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

## आदेश

20 परिणामतः अभियुक्त छोटू लाल पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा निवासी हनोतिया थाना उनियारा को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 341,323 एवं 302 भा0द0सं0 में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है।

21. अभियुक्त धारा 437ए सीआर.पी.सी. के तहत 20 हजार रूपये की जमानत व इसी राशि का मुचलका 6 माह के लिये इस आशय का पेश कर तस्दीक करावे कि वह प्रकरण मे माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर मे अपील होती है तो उसे अपील के नोटिस मिलने पर न्यायालय मे उपस्थित हो जायेगा।

(हिमांकनी गौड)
विशिष्ट न्यायाधीश
अ0जा0/अ0ज0जा (अ0नि) प्रकरण ,
टोंक (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 23.09.2016 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हिमांकनी गौड)
विशिष्ट न्यायाधीश
अ0जा0/अ0ज0जा (अ0नि) प्रकरण ,
टोंक (राज0)